

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यूपी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वितीय आस्तरियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) संपटित नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शाया गया संपत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी., बैंक फेंजाबाद के ऋण खाते में बंधक रखी हुई संपत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (सौ) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिये, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 10.01.2024 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय : अयोध्या, पोस्ट-साहेबगंज, जिला-अयोध्या 224001 (यू.पी.) में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पुरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 11.01.2024 को खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तरियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम व ऋणी/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति का नाम (बंधक सम्पत्ति/या परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व हिस्सों सहित)	अं भाग सूचना तिथि ब) अधिग्रहण तिथि स) बकाया धनराशि	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) अधिग्रहण के प्रकार
1.	शाखा : मुख्य शाखा-फेंजाबाद उधारकर्ता : 1. मेसर्स नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रो. हरीश कुमार मिश्र एड-1/14/06, न्यू हंसिला नगर, फेंजाबाद, जिला-अयोध्या 2. श्री हरीशकुमार मिश्र पुत्र हरिहर दत्त मिश्र पता-ग्राम-पूरे शिव प्रसाद, मजनावा, परगना मंगलसी, तहसील-सोहावल, फेंजाबाद, जिला-अयोध्या। जमानतकर्ता -1. श्रीमती कैलाश पति पत्नी हरिहर दत्त मिश्र, ग्राम-पूरे शिव प्रसाद, मजनावां, फेंजाबाद, जिला-अयोध्या, परगना-मंगलसी, तहसील-सोहावल, 2. श्री हरिहर दत्त मिश्र पुत्र गया प्रसाद मिश्र, ग्राम-पूरे शिव प्रसाद, मजनावां, परगना- मंगलसी, तहसील-सोहावल, फेंजाबाद, जिला- अयोध्या	भूमि/प्लॉट का सांथिक बंधक प्लॉट नंबर 1191KA (नया), 3022 (पुराना), विक्रय पत्र संख्या 893 दिनांक 26/11/1999, क्षेत्रफल- 0.077 हेक्टर, गांव-पुरे शिव प्रसाद पोस्ट-मजनावां, परगना-मंगलसी, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व- विक्रेता का खेत, पश्चिम- मनोहर लाल का खेत, उत्तर- अनिल कुमार सिंह का खेत, दक्षिण- भगवानदास का खेत स्वामी: कैलाशपति पत्नी हरिहर दत्त मिश्रा	09.11.2020 15.01.2021 रु. 3,76,760.00 + दिनांक 29.02.2020 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु.47,65,500.00 रु. 4,76,550.00 सांकेतिक कब्जा
2.	शाखा : मुख्य शाखा-फेंजाबाद उधारकर्ता : (1) मेसर्स शुभम मेन्स एंड किड्स विद्यर्स, प्रो. श्री राजल शंकर यादव, पता (i)-रिकाबगंज रोड, अन्नपूर्णा मंदिर, चौक, जिला-अयोध्या, पता (ii)-म.सं. 4/3/8 नौधारा, रथ हवेल, जिला- अयोध्या. (2) श्री रविशंकर यादव पुत्र च. हरिशंकर यादव पता (i)-रिकाबगंज रोड, अन्नपूर्णा मंदिर, चौक जिला-अयोध्या-पता (ii)-म.सं. 4/3/8 नौधारा, राठहवेली, जिला-अयोध्या। जमानतकर्ता -1) श्री विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सागर, पता-3/8/33 पुगनी मछली बाजार, चौक, थाना-कोतवाली नगर, जिला-अयोध्या। 2. श्री रविशंकर यादव पुत्र श्री. हरि शंकर यादव, पता- मकान नं.4/3/8, नौधारा राठहवेली, जिला-अयोध्या	भूमि/प्लॉट का सांथिक बंधक प्लॉट संख्या 512, विक्रय विलेख संख्या 2087 दिनांक 13/6/1994, क्षेत्रफल- 440 वर्ग फुट, गांव- नवधरा, पोस्ट- राठ हवेली, परगना- हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या विलेख के अनुसार चौहद्दी: पूर्व- जगन्नाथ का घर, पश्चिम- गली, उत्तर- खुला भूखंड, दक्षिण- गली स्वामी- रविशंकर यादव	22.07.2021 21.10.2021 रु. 6,23,833.00 + दिनांक 01.06.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 8,66,430.00 रु. 86,643.00 सांकेतिक कब्जा
3.	शाखा : पुंथर, अम्बेडकर नगर उधारकर्ता- मेसर्स सेठ ट्रेडर्स प्रो. श्री अरविंद मोहन सेठ, पता-फतू पत्तल कशा, पोस्ट-टांड़ा, जिला- अम्बेडकरनगर एवं श्री अरविन्द मोहन सेठ पुत्र श्री राम शंकर सेठ, पता-फतू पत्तल कशा, पोस्ट-टांड़ा, जिला-अम्बेडकरनगर. जमानतकर्ता- श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री अनिल कुमार सोनी व श्री राम उजागरिण पुत्र श्री राम जीत	भूमि एवं भवन का सांथिक बंधक भूमि/प्लॉट संख्या/मकान संख्या 39 का सांथिक बंधक, पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1559/2010 दिनांक 22.03.2010 की जमा राशि के माध्यम से, स्थित ग्राम-भैरवपुर, पोस्ट-महबूबगंज जिला अयोध्या/फेंजाबाद क्षेत्रफल: 1080 वर्गफुट, जो कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री अनिल कुमार सोनी के नाम पर है। घर की संपत्ति की चौहद्दी (डीड के अनुसार) : क्षेत्रफल-15*20 पूर्व-खंडजा रास्ता 5 फीट, पश्चिम-वीरेंद्र का प्लॉट, उत्तर-पीर मोहम्मद का घर, दक्षिण-सत्य प्रकाश का प्लॉट, चौहद्दी (डीड के अनुसार)-क्षेत्रफल-30*26, पूर्व-रामशबद गुप्ता का घर, पश्चिम-खंडजा रास्ता 5 फीट, उत्तर-जय प्रकाश और अन्य का अहाता, दक्षिण- राजेंद्र मल्ल का हाउस	12.11.2019 17.07.2023 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 22.07.2023 रु. 10,59,268.00 + दिनांक 01.11.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 20,08,550.00 रु. 2,00,855.00 सांकेतिक कब्जा
4.	शाखा : आर.बी.एन., गोसाईगंज उधारकर्ता- (1) मेसर्स उदयमान वर्मा केन क्रेशर प्रो. श्री उदय भान वर्मा, पता-ग्राम तकिया कालू, पोस्ट-मुस्तफाबाद, जिला-अम्बेडकरनगर 2. श्री उदय भान वर्मा पुत्र श्री साधुनाथ वर्मा पता-ग्राम टाकल्या कालू, पोस्ट-मुस्तफाबाद, जिला-अम्बेडकरनगर जमानतकर्ता- (1) श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री उदय भान वर्मा (2) श्री सूर्यभान वर्मा पुत्र श्री युवराज वर्मा, निवासगीण (1 व 2) ग्राम तकिया कालू, पोस्ट-मुस्तफाबाद, परगना-मिर्झौरा, तहसील-मीटी, जिला-अम्बेडकरनगर।	भूमि एवं भवन का सांथिक बंधक प्लॉट संख्या 37, विक्रय विलेख संख्या 1032, दिनांक 30.10.2012, क्षेत्रफल- 0.025 हेक्टर। क्षेत्रफल 0.412 हेक्टर में से, ग्राम- तकिया कालू, परगना-मिर्झौरा, तहसील-मीटी, जिला-अम्बेडकरनगर में स्थित है। चौहद्दी (डीडी के अनुसार): पूर्व- खंडजा रोड उसके बाद खुशीराम व अन्य का क्षेत्र, पश्चिम- प्रथम पक्ष का क्षेत्र, उत्तर-प्रथम पक्ष का क्षेत्र, दक्षिण- प्रथम पक्ष का क्षेत्र मालिक-श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री उदयभान	13.04.2021 02.09.2021 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 04.09.2021 रु. 05,75,742.00 + दिनांक 12.04.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 15,42,600.00 रु. 1,54,260.00 सांकेतिक कब्जा
5.	शाखा : आर.बी.एन., गोसाईगंज उधारकर्ता- (1) मेसर्स विजय केन क्रेशर प्रो. श्री विजय कुमार वर्मा, पता-ग्राम तकिया कालू, पोस्ट-मुस्तफाबाद, जिला-अम्बेडकरनगर (2) श्री तौसीफ अहमद सलमानी वर्मा, पता-ग्राम तकिया कालू, पोस्ट-मुस्तफाबाद, जिला-अम्बेडकरनगर जमानतकर्ता : (1) श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री कमला प्रसाद वर्मा, पता- ग्राम. तकिया कालू, पोस्ट-मुस्तफाबाद, परगना-मिर्झौरा, तहसील-मीटी, जिला-अम्बेडकरनगर (2) श्री संदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री कमला प्रसाद वर्मा, पता-ग्राम तकिया कालू पोस्ट-मुस्तफाबाद, परगना-मिर्झौरा, तहसील-मीटी, जिला-अम्बेडकरनगर (3) श्री जय प्रकाश वर्मा पुत्र श्री राम फूल वर्मा, पता- ग्राम तकिया कालू, दुल्लाघु पोस्ट-सया, जिला-अम्बेडकरनगर	भूमि एवं भवन का सांथिक बंधक प्लॉट संख्या 36, विक्रय विलेख संख्या 2012, दिनांक 22.05.2009, क्षेत्रफल-0.494 हेक्टर (1/2 हिस्सा यानी 0.247 हेक्टर) ग्राम-तकिया कालू, परगना-मिर्झौरा, तहसील-मीटी, जिला-अम्बेडकरनगर में स्थित है। डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व-चक रोड, पश्चिम-राम उजागरिण और राम केवट का क्षेत्र, उत्तर- उदयमान वर्मा का क्षेत्र, दक्षिण-तिवारीपुर से सेनपुर तक चलने वाली सड़क। मालिक-श्रीमती. शांति देवी पत्नी कमला प्रसाद	01.04.2021 02.09.2021 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 04.09.2021 रु. 11,15,255.00 + दिनांक 28.02.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 24,84,900.00 रु. 2,48,900.00 सांकेतिक कब्जा
6.	शाखा : चिरॉ, मोहम्मदपुर, अयोध्या उधारकर्ता- (1) मेसर्स फातिमा ज्वैलर्स प्रो श्री तौसीफ अहमद सलमानी, ग्राम- नेवाती टोला, रौनाही, परगना-मंगलसी, तहसील- सोहावल, जिला- अयोध्या (2) श्री तौसीफ अहमद सलमानी पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ, ग्राम-नेवाती टोला, रौनाही, परगना-मंगलसी, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या। जमानतकर्ता - मो. असरफ पुत्र खलील अहमद, (2) मो. इरशाद पुत्र अब्दुल रहमान	भूमि एवं भवन का सांथिक बंधक मकान नंबर 131/1 बिक्री विलेख संख्या 3219 के माध्यम से खरीदा गया। दिनांक 27.09.2014/29.09.2014, (तिम्मा डीड नं. 3151/09.11.2015) स्थित ग्राम, रौनाही, परगना मंगलसी, तह-सोहावल, जिला-अयोध्या, क्षेत्रफल-2585 वर्गफुट, जोकि श्री तौसीफ अहमद सलमानी पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ के नाम पर है। डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व- गफफार का घर, पश्चिम- सड़क 9 मीटर, उत्तर- मतीन मास्टर का घर, दक्षिण- झगड़ का घर मालिक- तौसीफ अहमद सलमानी	06.01.2020 23.12.2020 रु. 12,00,000.00 + दिनांक 31.12.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 25,38,900.00 रु. 2,53,890.00 सांकेतिक कब्जा
7.	शाखा : चिरॉ, मोहम्मदपुर, अयोध्या उधारकर्ता- मेसर्स बालाजी हार्डवेयर प्रो. आकाश कुमार चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश निवासी- सोहावल चौराहा, पेट्रोले पंप के पास, जिला-अयोध्या 224188 जमानतकर्ता: (1) श्री ऋषिकेश चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया (2) श्री मनोज कुमार चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया (3) श्रीमती सावित्री पत्नी ओम प्रकाश चौरसिया उपरोक्त (1 से 3) निवासीगण-म. नं. 210 ग्राम- रौनाही, सोहावल चौराहा, तहसील सोहावल जिला-अयोध्या 224188 (4) श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम-रौनाही सोहावल चौराहा तहसील सोहावल जिला-अयोध्या 224188	भूमि एवं भवन का सांथिक बंधक, प्लॉट सं. 1272 ग पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 156 दिनांक 31/01/2002 पुस्तक संख्या-2 खंड-165 पृष्ठ-227/265 क्षेत्रफल-366.79 वर्गमीटर की जमा राशि के माध्यम से आवस्यतीय भूमि एवं भवन का बंधक, स्थित-रौनाही, परगना-मंगलसी, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व- मो. शब्वीर खान की होण्डा एजेंसी, पश्चिम-मुस्लिम का घर, उत्तर-कालिका प्रसाद विश्वकर्मा का खेत, दक्षिण-रौंड फेंजाबाद से लखनऊ। स्वामी: (1) ऋषिकेश चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया (2) सुनील चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया (3) मनोज चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया (4) आकाश चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया	05.01.2023 20.04.2023 रु. 04,72,306.00 + दिनांक 08.11.2022 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 51,57,000.00 रु. 5,15,700.00 सांकेतिक कब्जा
8.	शाखा : मकरही, अम्बेडकरनगर उधारकर्ता- मेसर्स आदर्श सुगंधित अगरबत्ती प्रो. श्री ओमकार यादव पुत्र जंग बहादुर यादव, ग्राम-निरहू सराय हिसामुद्दीनपुर पिपरा, जिला-अम्बेडकरनगर जमानतकर्ता: (1) कंचन यादव पत्नी ओमकार यादव, निरहू सराय, हिसामुद्दीनपुर पिपरा, अलापुर, अम्बेडकर नगर (2) जंगबहादुर यादव पुत्र रामलान यादव, निरहू सराय, हिसामुद्दीनपुर पिपरा, अम्बेडकर नगर	भूमि एवं भवन का सांथिक बंधक, प्लॉट नंबर 808 का, बिक्री विलेख संख्या 2517/2009 दिनांक 12-11-2009 के माध्यम से खरीदा गया, स्थित ग्राम नगर महुवा, पोस्ट रामनगर, परगना-बिरहर, तहसील-आलापुर जिला-अम्बेडकरनगर, क्षेत्रफल-63.25 वर्गमीटर, जोकि श्रीमती कंचन यादव पत्नी श्री ओमकार यादव के नाम पर है। चौहद्दी: (डीड संख्या के अनुसार) दिनांक 12-11-2009 पूर्व-श्याम विहारी का प्लॉट पश्चिम-नंदलाल व अन्य का प्लॉट उत्तर-प्लॉट का शेष भाग दक्षिण-बसखारी से जहांगीरगंज रोड। स्वामी: श्रीमती कंचन यादव	20.04.2023 28.06.2023 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 04.07.2023 रु. 11,95,138.00 + दिनांक 28.06.2023 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे	रु. 32,25,000.00 रु. 3,22,500.00 सांकेतिक कब्जा

बिक्री के नियम एवं शर्तों : 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फेंजाबाद में देययोग एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू. पी. के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की ईमेल/ईए के सहायक के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में आगे दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निर्णयित करने का अधिकार सुरक्षित छ रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रमारों/देदारियों/भार/कर्जों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के मुद्दों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। 10. अतः (र्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तरियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप- (ब) प्रविष्टि हित प्रवर्तन संशोधन नियम 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रमारों के भुगतान के अधीन होगा। 11. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि धारा 13 के सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपना रु 200 बजे से साथ 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं।

11. आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति खरीदने पर 1 प्रतिशत टीडीएस के रूप में देय होगा। 12. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 13. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php> देखें।

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रमारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।